रायगढ़ जिला संपूर्ण क्षेत्र अब 16 मई तक रहेगा लॉकडाउन

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रायगढ़ संपूर्ण जिला क्षेत्र को 6 मई 2021 प्रातः 6 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। उन्होंने इस अवधि को बढ़ाते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 16 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में रायगढ़ जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। यह आदेश 6 मई 2021 की प्रातः 6 बजे से लागू होगा। अतः इस आदेश के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन उसी अनुसार किया जा सकेगा।।

उपरोक्त अवधि में कृषि क्षेत्र, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी और उनकी मरम्मत के लिए दुकानों/गोदामों के खोलने एवं उर्वरक ट्रकों की आवाजाही प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक की अनुमति होगी।

किराना सामग्री/ ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 3 तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ ठेले वालों/पिक-अप/मिनी ट्रक/ अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री की होम डिलीवरी के माध्यम से बिना दुकान खोले की जा सकेगी। मॉल एवं सुपर मार्केट पूर्णतः बंद रहेंगे। बैंक और डाकघर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सभी प्रकार के व्यपारिक लेन-देन के लिए खोलने की अनुमति होगी। डाक/डाक सेवाए (कोरियर) के लिए अनुमति रहेगी। ई-कामर्स की सेवाएं बंद रहेगी।

इलेक्ट्रीशियन/ प्लंबर/ ए.सी.कुलर/ सेनेटरी फिटिंग की घरेलु सेवायें/ मरम्मत की अनुमति होगी। उपरोक्त दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी।

एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियों केवल टेलीफेनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली, डेयरी एवं डेयरी उत्पाद प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स /ठेले वालों /पिक-अप/मिनी ट्रक /अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नही खोले जायेगें। केवल दुकान/पार्लर सामने फिजिकल डिस्टेसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। आटा चक्की की दुकानें प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

रजिस्ट्री कार्यालय (पंजीयन ऑफिस) न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ) गाईड लाईन के अनुसार खोलने की अनुमति होगी। ऑन लाईन होम सर्विस/ डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी। रेस्टोरेंट/होटल में डायनिंग एवं टेक-अवे की फैसिलिटी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। सभी शासकीय विभागों (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनरेगा इत्यादि) के श्रम मूलक कार्य की अनुमति सायं 5 बजे तक होगी। निजी कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं रहेगी।

सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। रायगढ़ जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन धान मिलिग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेंगे तथा लोड अनलोडिंग के कार्य रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक की जा सकेंगी।

उक्त अवधि के प्रत्येक रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं (हॉस्पिटल/क्लिनिकल/मेडिकल सेवाओं) को छोड़कर समस्त प्रकार की गतिविधियाँ पूर्णतः बंद रहेगी। उक्त कंटेनमेंट की अवधि में बाजार/ होटल एवं रेस्टोरेंट/ विवाह स्थल/ मॉल/ क्लब/ स्वीमिंग पुल/ सुपर मार्केट/ धार्मिक स्थल/ कोचिंग क्लासेस/ स्कूल एवं महाविद्यालय (विद्यार्थियों के लिए)/ पान एवं सिगरेट दुकानें/ शराब की दुकानें/ पर्यटन स्थल/ मोबाईल शॉप/नाई दुकाने/ उद्यान/ मडी (लोडिंग/ अनलोडिंग की अवधि को छोड़कर)/ जीम/ सामुदायिक आयोजनपूर्णतः बंद रहेंगे।

यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत समस्त जनपद पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण),कमान्डेट होम गार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त शेष शर्तें पूर्ववत यथावत रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना

रायपुर (आरएनएस)। बैशाख माह में प्रचंड गर्मी पड़ती है किंतु पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार-चढ़ाव के चलते एक द्रोणिका छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रही है। पश्चिम उत्तरप्रदेश से गुजरने वाली द्रोणिका के कारण पर्याप्त मात्रा में नमी आने के कारण जहां एकाएक गर्मी बढ़ गई है वहीं अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका विदर्भ से केरल तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। दूसरा द्रोणीका पश्चिम उत्तर प्रदेश से असम तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रदेश में कल दिनांक 5 मई को एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा अंधड़ चलने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि के साथ विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

स्कोडा कार में कर रहा था अवैध शराब तस्करी,आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर (आरएनएस)। स्कोडा कार में अवैध शराब तस्करी करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कार की डिक्की से 22 बॉटल अंग्रेजी शराब जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के सिविललाईन थाना पुलिस ने मुखबीर की सुचना पर ई-चार्जिग प्वाईन्ट सिंधी कालोनी रोड बिलासपुर में 3 मई को रात 11.30 बजे सिंधी कालोनी की ओर से एक काले रंग का स्कोडा कार क्रमांक सीजी 10 एसी 3160 में सिरगिट्टी की ओर जा रही कार को रोकने पर उसमें बैठे व्यक्ति का नाम पुछने पर उसने अपना नाम परनीत सिंह वेदी उर्फ अंगद 29 वर्ष पिता स्व.परमजीत सिंह वेदी निवासी अमलताश कालोनी सिविलाईन बिलासपुर बताया। कार चेक करने पर डिक्की के अंदर अलग-अलग ब्रांड के 22 बॉटल अवैध अंग्रेजी शराब 32024 रुपये कीमत बरामद होने पर उससे शराब रखने के संबंध में कागजात मांगा गया। जिसके बाद आरोपी ने अवैध रुप से शराब रखने की पुलिस को जानकारी दी। आरोपी के पास से 22 बॉटल अंग्रेजी अवैध शराब तथा 08 लाख कीमत की स्कोडा कार जब्त कर हिरासत में लेकर आबकारी एक्ट की धारा 34/2 ,59 ए के तहत कारवाई की गई है।

टीकाकरण मामले में ठोस नीति बनाकर राज्य शासन शुक्रवार को जवाब प्रस्तुत करें : हाईकोर्ट

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सिनेशन के संबंध में टीकाकरण अभियान के वर्गीकरण को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी एवं दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ की युगलपीठ बिलासपुर सुनवाई के दौरान राज्य शासन को संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन मामले में शुक्रवार तक ठोस नीति बनाने का आदेश प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। प्रथम दृष्टि में हाईकोर्ट ने उक्त वर्गीकरण को अनुचित माना है। हाईकोर्ट की दृष्टि में वैक्सिनेशन की नीति बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। जिस पर राज्य शासन द्वारा आरक्षण टीकाकरण में करना ठीक नहीं है। राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत जवाब पर असंतुष्ट होने के दशा में हाईकोर्ट द्वारा राज्य शासन का आदेश रद्द करने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण में आरक्षण लगाने को लेकर प्रस्तुत हस्तक्षेप याचिकाओं पर मंगलवार को हाई कोर्ट की युगलपीठ में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर सख्त एतराज जताया है। कोर्ट ने शासन को स्पष्ट किया है कि टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव जायज नहीं है। हाई कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को दो दिन में नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य शासन द्वारा टीकाकरण में आरक्षण लागू करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने हाई कोर्ट में लंबित जनहित याचिका पर इसे हस्तक्षेप याचिका मानकर सुनवाई करने का आग्रह किया था। इसी तरह टीकाकरण में आरक्षण को लेकर अलग-अलग पांच से अधिक हस्तक्षेप याचिकाएं दायर हुई है। आज मंगलवार को हाई कोर्ट के चीफजस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच में वीडियो कांफेसिंग के जरिए सुनवाई हुई।

बिल का भुगतान मांगने पर अस्पताल में तोड़फोड़ व मारपीट,मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

रायपुर (आरएनएस)। कोविड पाजिटिव मरीज को दुसरे अस्पताल में डिस्चार्ज कर ले जाने के दौरान बिल भुगतान करने कहने पर अस्पताल में तोड़फोड़ एवं मैनेजर के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सदाणी दरबार माना रायपुर निवासी वंश बत्रा 17 वर्ष पिता राजेश बत्रा ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थी जीवन अनमोल हास्पिटल टैगोरनगर में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। 30 अप्रैल को करीबन 8.30 बजे शकीना बानो एवं यूनूस चंगल निवासी नवापारा राजिम को उनका लड़का सद्दाम एवं परिवार वाले कोविड 19 पाजिटिव होने पर भर्ती कराया था। जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था 1 मई को रात्रि मरीज के परिवार वाले पेसेन्ट को डिस्चार्ज कराकर दूसरे अस्पताल अपने लिखित सहमति एवं जवाबदारी पर ले गए। 3 मई को दोपहर 2.53 बजे यूनूस चंगल को लेकर उनका लड़का सद्दाम इलाज का फाईल की मांग करने लगा। इस पर प्रार्थी ने 30 अप्रैल को किया गया इलाज का रकम भुगतान करने को कहा। जिसके बाद आरोपी गुस्से में आकर गाली-गलौच कर उसके साथ मारपीट किया तथा काउन्टर में लगे कम्प्यूटर सिस्टम तथा बाहर रखे कम्प्यूटर मानिटर एवं अस्पताल में घुसकर मल्टी पैरामीटर मानिटर में तोड़फोड़ किया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

बिलासपुर रेंज आईजी जिले के दौरे पर अन्तरराज्यीय बॉर्डर का किया निरीक्षण

» थाना कोतवाली में अधिकारियों को किये ब्रीफ, दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

रायगढ़। मंगलवार को रतन लाल डांगी, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, बिलासपुर, रायगढ़ जिले के आकस्मिक भ्रमण पर थे। सड़क मार्ग से वे सीधे रेंगालपाली, इंटर स्टेट बार्डर चेक करने पहुंचे। उनके साथ एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा, सीएसपी अविनाश सिंह एवं टीआई अमित शुक्ला भी थे। आई.जी. डांगी चेक पोस्ट पर ड्यूटी में तैनात जवानों से चर्चा किये और प्रतिदिन ओडिशा से आने वाले वाहनों का इंट्री रजिस्टर में की जा रही है या नहीं चेक किये।

उनके द्वारा कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि एक भी गाड़ी बिना इंट्री के आगे ना जाने दिया गया और वाहन में सवार व्यक्तियों के बारे में बे-रोक टोक पूछे की वे कहाँ जा रहे हैं, उनके पास ई-पास और आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट है या नहीं चेक किया जाए। अधिकारियों को निर्देशित किये कि जिले के सभी चेक पोस्ट पर श्रमिकों सहित हर व्यक्ति से पूरी जानकारी और यात्रा विवरण लेने हेतु चेक पोस्ट में लगे अधिकारी, कर्मचारियों को निर्देशित करें। यदि कोई व्यक्ति बिना जानकारी दिए प्रवेश करते पाये जाए तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जावे। इंटर स्टेट बॉर्डर चेक के बाद आईजी डांगी चक्रधरनगर, कोतवाली के हर चेक पाइंट में रूके और ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से ड्यूटी एवं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिये। उसके बाद कोतवाली थाने में एडिशनल एसपी एवं सीएसपी को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। आईजी डांगी द्वारा जिले में संक्रमित पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों के ईलाज व चिकित्सा सुविधाओं हेतु गठित कोविड रक्षा सेल एवं जरूरतमंदों के लिये जिला पुलिस द्वारा चलाई जा रही पुलिस हेल्प डेस्क की सराहना किये और आगे भी जरूरतमंदों के लिये जिला पुलिस को उत्तम कार्य करने हेतु प्रेरित किये। देर शाम वे सड़क मार्ग से बिलासपुर की ओर रवाना हुये हैं।

अंबिकापुर और कोरबा जिले को जोड़ने वाले चेक पोस्ट का एसपी ने किया औचक निरीक्षण

» संक्रमण की बढ़ती चैन को रोकने बार्डर की सुरक्षा पर जोर, गांव में ग्राम प्रमुख व रक्षा समिति के सदस्यों को दी जा रही समझाईश

रायगढ़। कोरोना संक्रमण की बढ़ती चैन को रोकने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा जिले के अंदर कडाई से लॉकडाउन का पालन कराने के साथ इंटर स्टेट बार्डर एवं इंटर डिस्ट्रिक बार्डर की सुरक्षा पर दिया जा रहा है। प्रतिदिन जिले के राजपत्रित अधिकारीगण एवं थाना, चौकी प्रभारी बैरियर व चेक पोस्ट चेक किये जा रहा हैं तथा नियमों के अनुरूप बार्डर पर ही आने-जाने वालों के टेस्ट कर जिले में प्रवेश दिया जा रहा है।

आज रेंज आईजी डांगी के दौरे के साथ ही पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह जिला अम्बिकापुर एवं कोरबा को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों में बने चेक पोस्ट के निरीक्षण करने दौरे पर थे। वे थाना कापू क्षेत्र अन्तर्गत कुमरता, बन्धनपुर चेकपोस्ट पर अचानक पहुंचे, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से वाहनों एवं आने जाने वालों से पूछताछ तथा रजिस्टर में नाम एंट्री की जानकारी लिये। कर्मचारियों को वाहनों से आने वालों के ई-पास एवं टेस्टिंग रिपोर्ट देखने तथा ग्रामीणों को रोका-टोका करने के निर्देश दिये। साथ ही थाना प्रभारी कापू को दिन व रात के समय चेक पोस्ट को औचक चेक करने के लिए निर्देशित किया गया है। उसके बाद वे कोरबा जिले को जोड़ने वाले हाटी चेक पोस्ट पर कर्मचारियों को निर्देशित किये कि बाहरी राज्य और अन्य जिलों से आने वालों की जानकारी रखे जिससे प्रशासन को उन्हें जांच के बाद उन्हें क्वारेंटाइन किये जाने में आसानी हो।

राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप दिगर राज्स ओडिसा से आने-जाने वालों के बिरनीपाली बेरियर में टेस्ट बाद ही जिले में प्रवेश दिया जा रहा है।

गांव में संक्रमण के फैलाव को रोकने पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना प्रभारीगण गांव सरपंच, कोटवार, ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को समझाईश दी जा रही है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों से बचें, अति आवश्यक न हो तो घरों से न निकले। कोरोना के लक्षण आने पर तुरंत टेस्ट करावें और टीकाकरण आवश्य करावें। इसी क्रम में थाना प्रभारी घरघोड़ा अमित सिंह द्वारा ग्राम रायकेरा, बिछीनारा, कोनपारा में जाकर सरपंच, कोटवार, ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को कोविड के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के रोकथाम के संबंध में आवश्यक जानकारी दिया गया है।

प्रतिदिन मार्निंग वॉक पर निकले लोगों पर हुई कार्यवाही के बाद अब शाम के समय लोगों के निकलने की शिकायत पर पिछले दो दिनों से शाम के समय बेवजह दुपहिया पर निकले लोगों को चेक पाइंट पुलिस स्टाफ कड़ी फटकार लगाकर जुर्माने की कार्यवाही कर रही है।

ईंट भट्ठा का पैसा को लेकर दो परिवार आपस में भिड़े, एक दूसरे पर किया जानलेवा हमला

बिलासपुर (आरएनएस)। ईट भट्ठा का पैसा को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद होने पर एक दूसरे पर लाठी-डण्डों व टंगिया से मारकर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट कोटा थाने में दर्ज करायी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खैरझिटी कोटा बिलासपुर निवासी शत्रुघन गेंदले 26 वर्ष पिता गणेशराम गेंदले ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 3 मई को रात 09 बजे घर के बाहर लड़ाई-झगड़े की आवाज को सुनकर प्रार्थी बाहर निकला तब उसके पिता के साथ ईट भट्ठा का पूर्व पैसा को लेकर महंगूचेलकर 30 वर्ष गाली-गलौच कर रहा था। बीच-बचाव करने पर महंगू का बेटा एंथोनी,अकबर एवं उसकी पत्नी प्रमिला ने लाठी डंडा एवं टंगिया लेकर बाहर आये और सभी ने मिलकर प्रार्थी के पिता व उसे एवं उसके परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसके चलते उसके पिता ,मॉ एवं उसके भाई को गंभीर चोट लगी है। इसी तरह मंहगू राम चेलकर 45 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 3 मई को रात 09 बजे ईट भट्ठा के पूर्व पैसा को लेकर गणेश गेंदले,शत्रुघन गेंदले,पुन्नी लाल गेंदले एवं श्रीमती मुखनी गेंदले ने मिलकर प्रार्थी व उसके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर लाठी-डण्डे एवं टंगिया से मारकर चोट पहुंचाया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ धारा 307,294,323,34 के तहत अपराध कायम कर मामले की विवेचना में जुटी है।

गाईडलाईन का उल्लंघन कर ऑक्सीजन सिलेण्डर रिफिल कराने वाले उद्योगों पर लगाये प्रतिबंध-कलेक्टर

» अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर लगातार करें कोविड टेस्टिंग

रायगढ़ । ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रिफिल करने वाली एजेंसियों द्वारा कुछ उद्योगों द्वारा दबाव डालकर सिलेंडर रिफिलिंग कराने की बात सामने आई, जिस पर कलेक्टर भीम सिंह ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों के उद्योगों की जांच करने और सिलेंडर उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश अनुसार अभी ऑक्सीजन का मेडिकल पर्पज में ही उपयोग किया जाना है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश उन्होंने दिए। कलेक्टर भीम सिंह ने आज साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली।

इस दौरान उन्होंने मेडिकल कालेज व केआईटी कालेज में ऑक्सीजनेटेड व आईसीयू बेड की स्थिति की जानकारी ली। इस पर कलेक्टर सिंह ने दोनों ही जगह बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसी तरह कलेक्टर सिंह के समक्ष कुछ उद्योगों द्वारा दबाव बनाकर ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग कराने की बातें सामने आई। इस पर कलेक्टर सिंह ने जिले के सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों के उद्योगों की जांच करने और शासन द्वारा जारी गाइड लाइन के पालन नहीं करने वाले उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही।

कलेक्टर सिंह ने अंतरराज्यीय सीमा जैसे रेंगालपाली, एनटीपीसी लारा, महापल्ली, एकताल, बरमकेला व अन्य ब्लाक के चेक पोस्ट पर गंभीरता से आने वाले लोगों की जांच करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने 72 घंटे के भीतर का नेगेटिव रिपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों को जाने देने तथा बिना रिपोर्ट लक्षण वाले व्यक्तियों की जांच करने व रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकतानुसार उन्हें क्वारेन्टीन सेंटर भेजने और हॉस्पिटल में एडमिट कराने के निर्देश दिए। बिना लक्षण वालों को 07 दिन के लिए क्वारेन्टीन करने के निर्देश दिये। कलेक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे प्रदेश से रेल से आने वालों की जांच और क्वारेन्टीन सेंटर भेजने का कार्य गाइड लाइन अनुसार हो। इसी तरह बस से आने वालों की जांच और उन्हें क्वारेन्टीन सेंटर भेजने का कार्य भी करना है। कलेक्टर सिंह ने बाइपेप मशीन, वेंटिलेटर खरीददारी के लिए सतत् संपर्क करने के लिए सहायक कलेक्टर सुश्री रोमा श्रीवास्तव को निर्देशित किया। मशीन की सप्लाई होने पर खरसिया, सारंगढ़, धरमजयगढ़ में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अन्य मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी को दिए।

इसके बाद मितानिन को दिए जाने वाले दवाइयों की किट के संबंध चर्चा की गई। इसमें लक्षण आने वाले मरीजों को शासन के गाइड लाइन के अनुसार कोरोना दवाइयां उपलब्ध कराने की बात जिला पंचायत सीईओ डॉ. रवि मित्तल ने कही। कलेक्टर सिंह ने शासन से पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की मांग करने और गांव के मितानिन किट में कोरोना की दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर राजेंद्र कटारा, निगम कमिश्नर आशुतोष पाण्डेय, ज्वाइंट कलेक्टर सुमित अग्रवाल सहित डिप्टी कलेक्टर सभी विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

समय पर मिले जांच रिपोर्ट

कलेक्टर सिंह ने कोरोना जांच रिपोर्ट मिलने में देर होने संबंधी शिकायतों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने तय समय पर जांच रिपोर्ट देने और उसके बाद गंभीर मरीजों को अस्पताल और सामान्य मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने संबंधित कार्रवाई करने के निर्देश सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी को दिए। इसी तरह कलेक्टर सिंह ने होम आइसोलेटेड मरीजों की डाक्टरों द्वारा डेली अपडेट लेने और जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने निर्देशित किया। कलेक्टर सिंह ने हर तीन घंटे में अस्पतालों में सामान्य, ऑक्सीजनेटेड और वेंटीलेटर, आईसीयू बेड की संख्या अपडेट करने की बात कही।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480